राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

प्रेस

विज्ञप्ति

बजट
2015–16

<u>प्रेस – विज्ञप्ति</u>

दिनांक 09.03.2015 को प्रस्तुत
बजट वर्ष 2015–16 के प्रमुख बिन्दु

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष 556.82 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2015–16 का राजकोषीय घाटा 20609.75 करोड़ रुपये, जो GSDP का 2.99 % है।
- वर्ष 2015–16 के बजट में कुल राजस्व आय 111361.66 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
- वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 39786.88 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2015–16 में 47096.05 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 18.37 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2015–16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.84 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 11962.09 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.74 प्रतिशत है।

आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास

सड़कः

- निजी जनसहभागिता के आधार पर 5 बड़ी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालय में 2119 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ स्वीकृत
- 2000 किलोमीटर की missing links का निर्माण 900 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा
- धौलपुर एवं अलवर जिले में OPRC System के तहत कार्य किया जायेगा।
- दिसंबर 2015 तक 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गाँवों को जोड़ने के लिए 1 हजार 440 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य।
- 250 व उससे अधिक आबादी के 1100 ढ़ाणी–मजरों को 900 करोड़ रुपये की लागत से जोड़ने का कार्य इस वर्ष पूर्ण किया जायेगा।
- **नये कार्य करवाये जायेंगेः–**
  - भैंरू दरवाजा से सवाईमाधोपुर शहर तक 30 करोड़ रुपये की लागत से additional carriage way का निर्माण।
  - हनुमानगढ़ में घग्घर नदी पर 40 करोड़ रुपये की लागत से पुल
  - साबला बाईपास एवं तीजवाड़ से सिंटेक्स चौराहे का कार्य 14 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से।
  - सेवर से पाली सड़क, जिला धौलपुर का निर्माण 4.43 करोड़ रुपये की लागत से।

- भोपाल सागर से नरेला सड़क, जिला चित्तोड़गढ़ का निर्माण – 76.88 करोड़ रुपये की लागत से।
- गेंता कोटा तथा माखीदा बूंदी के मध्य चंबल नदी पर पुल का निर्माण – 102 करोड़ रुपये।
- भरतपुर नदबई बाईपास RoB सहित – 105 करोड़ रुपये
- अलवर में अहिंसा सर्किल को जोड़ने के लिए दो मुख्य सड़कें – 30 करोड़ रुपये

→ 4 हजार किलोमीटर लंबाई की non patchable सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण 847 करोड़ रुपये

→ खनन क्षेत्र की सड़कों का विकास कार्य – 50 करोड़ रुपये की लागत से।

→ 5 निर्माणधीन RoBs का निर्माण कार्य पूर्ण

→ लोहावट, जिला जोधपुर में RoB का निर्माण – 35 करोड़ रुपये की लागत से।

सड़क परिवहनः

→ RSRTC को reform linked programme के तहत 120 करोड़ रुपये की सहायता

→ RSRTC को 160 करोड़ रुपये State Bus Terminal Authority को भूमि आदि उपलब्ध कराने के लिए।

→ RSRTC को किराये में रियायतों के लिए 160 करोड़ रुपये।

→ ग्रामीण बस सेवा के 1500 नये रूट खोले जायेंगे।

→ जयपुर में पीपीपी के अंतर्गत Integrated Computerised Fitness Centre तथा fully automated driving track का निर्माण।

→ वाहन पंजीयन, वाहन कर, driving license के online आवेदन

→ राजस्थान राज्य रोड सेफ्टी ऑथरिटी का गठन।

→ स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा।

हवाई परिवहनः

→ वर्तमान हवाई पट्टियों का 30 करोड़ रुपये की लागत से विकास।

पेयजलः

→ 12 चालू प्रोजेक्ट्स को 494 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जायेगा।

→ नागौर लिफ्ट प्रोजेक्ट फेज–।। का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

→ किशनगढ़ जल आपूर्ति योजना का पुनर्गठन – 185 करोड़ रुपये

→ टोंक पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन – 47.20 करोड़ रुपये

→ प्रतापगढ़ जल सप्लाई योजना का पुनर्गठन – 94.42 करोड़ रुपये

→ देवास चतुर्थ बांध से राजसमंद में जल diversion के लिए DPR तैयार करवाई जायेगी

→ खानपुर जल सप्लाई योजना का पुनर्गठन – 16.84 करोड़ रुपये

→ जैसलमेर की 2 पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन – 4 करोड़ रुपये

- 2 हजार RO Plants की स्थापना
- 1 हजार सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवेल की स्थापना – 40 करोड़ रुपये
- जनता जल योजनाओं को दुरूस्त करने हेतु 139.55 करोड़ रुपय
- हैंडपंप रख–रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बीकानेर संभाग में डिग्गी पेयजल सप्लाई योजनाओं के रख रखाव हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान।

ऊर्जा:

- Rajasthan Electricity Distribution Management Bill लाया जायेगा।
- चित्तौड़गढ़ में 400 केवी का एक ग्रिड सब–स्टेशन
- 220 केवी के 6, 132 केवी के 16 तथा 33 केवी के 200 ग्रिड सब–स्टेशनों की स्थापना।
- 400 केवी का एक ग्रिड सब–स्टेशन उदयपुर में तथा जोधपुर से उदयपुर 400 केवी की नयी लाईन।
- 40 हजार नये कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जायेंगे
- जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ तथा बाड़मेर में 16 हजार से अधिक ढाणियों में 5 लाख 40 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन
- तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में centralised call centres की स्थापना
- ESCO model के तहत घरेलू बिजली हेतु LED को प्रोत्साहन
- 14 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन तथा 26 हजार मेगावाट सोलर पार्क के लिए इस वर्ष MoU / Joint Venture Agreement

पर्यटन:

- पर्यटन, कला एवं संस्कृति के लिए वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2015–16 में 68 प्रतिशत अधिक प्रावधान
- प्रचार प्रसार के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान
- विभिन्न संग्रहालयों एवं पेनोरमा के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये
- Domestic Travel Mart का आयोजन एवं जयपुर शहर को MICE destination के रूप में विकसित करना।

देवस्थान:

- मंदिरों के विकास एवं रख रखाव हेतु 20 करोड़ रुपये

वन:

- रणथम्भोर में टाईगर सफारी का विकास
- बीकानेर में biological park की स्थापना – 25 करोड़ रुपये

- चूरू Nature Park के लिए अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये
- जयपुर–पुष्कर बाईपास व हर्बल गार्डन तथा नोलक्खा झालावाड़ में स्मृति वन
- pilot basis पर वन धन योजना लागू की जायेगी

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योगः

- नवंबर 2015 में resurgent rajasthan का आयोजन।
- उद्योगों के लिए land bank की स्थापना
- जिला उद्योग केन्द्रों एवं आयुक्त, उद्योग के कार्यालय का कंप्यूटराईजेशन – 3 करोड़ रुपये की लागत से
- नये Honda Corps Vendors के लिए 125 एकड़ भूमि में स्थापना
- सलारपुर भिवाड़ी में Electronic Manufacturing Cluster के लिए 50 एकड़ भूमि तथा कलड़वास एक्सटेंशन उदयपुर में IT and ESDM zone में 127 एकड़ भूमि का आवंटन

लघु उद्योगः

- MSME के लिए नयी price preference नीति
- MSME के लिए facilitation centre का विकास
- राजसिको को सोडाला जयपुर में नया incubator/plug and play facility युक्त सेंटर की स्थापना के लिए 8.50 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
- CETP के legal framework
- पाली के CETP को zero liquid discharge plant में परिवर्तन।
- लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधीन PSUs का restructuring
- दिल्ली के निकटवर्ती जिलों में राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान
- प्रत्येक संभाग में एक इंजीनियरिंग तथा MBA महाविद्यालय में incubators की स्थापना।
- राज्य में 3D printing and robotics lab की स्थापना की जायेगी

खननः

- 98 प्रतिशत खनन पट्टे व क्वारी लाईसेंस अप्रधान खनिजों की श्रेणी में

कृषि एवं पशुपालन

कृषि एवं उद्यानिकीः

- 1410 ग्राम पंचायतों तथा 59 पंचायत समितियों पर कृषि सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करवाया जायेगा। केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये
- 3 लाख MT यूरिया, 1 लाख MT DAP का अग्रिम भंडारण – 55 करोड़ रुपये

- निजी honorary extension workers योजना प्रारंभ की जायेगी।
- जैविक खेती के लिए राज्यस्तरीय अवार्ड
- नई तकनीकी जानकारी के लिए किसानों का देश विदेश में भ्रमण।
- राजस्थान बीज निगम द्वारा सब्जियों के बीज का उत्पादन, उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाली की स्थापना।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों के किसानों को शंकर बाजरा प्रमाणित बीज के मिनी किट्स का वितरण
- नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना
- DISCOMs को subsidised agriculture rates के लिए 6116 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- सहकारी बैंको के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण दिया जायेगा – 370 करोड़ रुपये का अनुदान। साथ ही, 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान
- दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान – 30 करोड़ रुपये
- 100 ग्राम सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये

जल संसाधनः

- PRIs को स्थानांतरित तालाबों में से 35 तालाबों का जीर्णोद्धार – 35 करोड़ रुपये
- 70 सिंचाई परियोजनाओं की बैंच मार्किंग study
- 32 जलाशयों का जीर्णोद्धार – 36 करोड़ रुपये की लागत से
- 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा
- 53 हजार 612 हैक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य
- जैतपुरा बांध भीलवाड़ा की मरम्मत – 21 करोड़ 44 लाख रुपये
- बारां गोपालपुरा मध्य सिंचाई परियोजना का पुनरूद्धार – 20 करोड़ रुपये से
- माही परियोजना के नहरी तंत्र का सुदृढीकरण – 110 करोड़ रुपये की लागत से।
- four water concept के तहत साबरमती, लूणी, वेस्ट बनास तथा सूकली बेसिन के लिए 300 करोड़ रुपये एवं माही व बुनाद के लिए 25 करोड़ रुपये
- झालावाड़ में गुराड़िया तथा राशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना – 100 करोड़ रुपये
- चूरू में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर प्रणाली sprinkler सेट आधारित – 70 करोड़ रुपये
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय में 11 हजार हैक्टेयर तथा नर्मदा वृहत सिंचाई परियोजना में 7 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए खोला जायेगा।
- टोंक, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 8 हजार 71 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा।

पशुपालनः

- 200 उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन
- 600 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना

- 26 तहसीलों में पशुधन चल आरोग्य इकाइयों की स्थापना
- पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत तथा सफाई के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपये
- राज्य स्तर पर पशु expo
- डग में Malvi Cattle Breeding Farm की स्थापना तथा वेटनरी डिप्लोमा कोर्स शुरू करना।
- camel milk research के लिए परियोजना

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

- 200 छात्रावासों एवं 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाईट सिस्टम की स्थापना
- 4 हजार 110 संबल गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
- गैर सरकारी वृद्धाश्रमों की रेटिंग
- पालनहार योजना के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रावधान
- निष्क्रमणीय पशु पालकों के बालकों के 2 आवासीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोली
- 901 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे
- बालिकाओं के लिए self defense योजना सभी जिलों में लागू किया जायेगा
- जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र में 100 नये माँ–बाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे।
- जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र में 1339 माँ–बाड़ी केन्द्रों पर गैस कनेक्शन की सुविधा
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिए 5 खेल छात्रावास
- अल्पसंख्यक चयनित ब्लाक्स में 40.75 करोड़ रुपये की लागत से infrastructure development के विभिन्न कार्य
- मदरसों के लिए मदरसा बोर्ड को 63 करोड रुपये

युवा मामले एवं खेलः

- विभिन्न स्टेडियमों के विकास कार्यों के लिए 28.80 करोड़ रुपये
- राज्य में National Academy for Archery and Shooting की स्थापना
- बालकों के लिए हॉकी तथा बास्केटबाल हेतु नयी खेल अकादमियों की स्थापना
- खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी
- Summer व Winter ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेंम्स के पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पैकेज की घोषणा
- योगा ट्रेनिंग सेंटर्स की accreditation policy
- Sports Complex उदयपुर में Indoor Stadium का निर्माण – 14 करोड़ रुपये

शिक्षाः

- 657 ग्राम पंचायतों में phased manner में चयनित स्कूलों का 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नयन
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के रूप में विकास

- 37 शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण – 48 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान
- 134 मॉडल विद्यालयों के लिए 438 करोड़ रुपये
- District School Boards का गठन
- पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की बालिकाओं का transport वाउचर की सुविधा
- डाईट में ई–टीचिंग तथा e-training
- राज्य के निजी विद्यालयों के छात्रों के NTSE में चयनित होने पर 10 हजार रुपये दिये जायेंगे
- झुंझुनूं जिले में नवीन सैनिक स्कूल के भवन का निर्माण

उच्च एवं तकनीकी शिक्षाः

- State Higher Education Development Plan तैयार किया जायेगा
- निर्माणाधीन 32 महाविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 33.93 करोड़ रुपये का प्रावधान
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली 1650 मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण की योजना
- आहोर जिला जालौर एवं डेगाना जिला नागौर में नवीन राजकीय महाविद्यालय
- Science and Humanities Research Foundation का गठन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

- चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 28 प्रतिशत अधिक प्रावधान
- 8 चिकित्सालयों में नये blood bank की स्थापना
- 7 नयी blood component separation unit की स्थापना
- 100 नयी मोरचरी का निर्माण
- CHC आबू रोड़ जिला सिरोही का विस्तार कार्य – 3 करोड़ रुपये की लागत से
- बीकानेर के जनाना चिकित्सालय के निर्माणाधीन भवन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
- दौसा जिला चिकित्सालय में 150 से 250 शैय्याओं की बढ़ोतरी
- जिला अस्पताल बारां के सुदृढ़ीकरण का कार्य
- 400 प्रसूती केन्द्र का विकास कार्य
- community based management of acute malnutrition
- 10 जिला चिकित्सालयों में mother milk बैंक की स्थापना – 10 करोड़ रुपये की लागत
- प्रत्येक संभाग के 1 जिले में प्रायोगिक तौर ANM को PC Tablet
- **निजी जनसहभागिता के आधार पर निम्न सुविधायेंः–**
  - Run a PHC योजना
  - जिला अस्पतालों में haemodialysis सुविधा
  - सिटी स्केन तथा MRI मशीन का संचालन
  - 17 जिला अस्पतालों पर cancer care सुविधा का संचालन
  - जिला अस्पतालों पर IVF सेंटर का संचालन

- मुख्य खाद्य प्रयोगशाला जयपुर का सुदृढ़ीकरण – 7 करोड़ रुपये
- 10 प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का भवन निर्माण
- आरोग्य राजस्थान अभियान चलाया जायेगा
- Dial an ambulance योजना
- Adolescent बालिकाओं के लिए health and hygiene scheme

चिकित्सा शिक्षाः

- चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए मास्टर प्लान
- सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में multi disciplinary lab की स्थापना
- सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में Centre of Organ Transplant की स्थापना
- चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में पीपीपी के आधार पर बायोमेडिकल अकादमी की स्थापना
- पीपीपी के आधार पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेः

- वर्ष 2016 में रवी विपणन हेतु जयपुर व भरतपुर संभाग में गेंहूँ की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना
- बाट व माप संबंधी कार्यों को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन स्थानांतरित किया जायेगा
- फोर्टीफाईड आटा, फोर्टीफाईड खाद्य तेल तथा डबल फोर्टीफाईड नमक का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण
- उपभोक्ता मंचों की सुदृढ़ीकरण के लिए 16 करोड़ 66 लाख रुपये

कौशल राजस्थान एवं रोजगार

- राजस्थानी प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ का गठन
- केन्द्र सरकार एवं बैंकिंग क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारियों हेतु कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना
- NDA, CDS जैसी परीक्षाअें के लिए भी कोचिंग सुविधा
- Skills and Employment विभाग का गठन
- निर्माण श्रमिकों के लिए recognition of prior learning आधारित प्रशिक्षण
- रीको द्वारा उदयपुर, अलवर, बीकानेर जिले के 500 कामगारों को प्रशिक्षण
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से 15 हजार स्वयंसहायता समूहों का गठन कर 2 लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- 60 नयी पंचायत समितियों में आजीविका के कार्य का विस्तार किया जायेगा
- 200 चयनित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन
- प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर सरस बूथों की स्थापना

- ITI के लिए निम्न उपाय किये जायेंगेः–
  - 170 राजकीय ITIs को आधुनिक tools and equipments – 28 करोड़ रुपये
  - 17 निर्माणाधीन ITIs के लिए 82 करोड़ रुपये
  - 59 राजकीय ITIs में कंप्यूटर लैब की स्थापना – 7.67 करोड़ रुपये
  - जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में संचालित प्रोडक्शन केन्द्र का regular ITI में क्रमोन्नयन
  - 28 ITIs में plumber trade खोला जायेगा
  - Art works एवं graphics के लिए dedicated ITI
  - भरतपुर में ITI का नया क्षेत्रीय कार्यालय
  - ITI के लिए ब्रांड अंबेसेडर

स्थानीय स्व–शासन

शहरी विकासः

- शहरी क्षेत्र को वर्ष 2018 तक open defecation free बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये
- Solid waste collection and processing के लिए VGF
- अजमेर – पुष्कर में ह्रदय योजना
- कोटा बराज के समानान्तर 85 करोड़ का पुल
- मुख्यमंत्री जनआवास योजना लायी जायेगी।
- जयपुर में 7 flyover / RoB/RuB के कार्य
- खोले के हनुमान जी का मंदिर का विकास कार्य
- जयपुर में बोटोनिकल पार्क , सेंन्ट्रल पार्क एवं सिल्वन पार्क का विकास कार्य।
- जयपुर शहर में बिजली की तारों को भूमिगत करने का कार्य – 80 करोड़ रुपये
- 13 शहरों में LED street light
- नवीन गठित ग्राम पंचायतो एवं पंचायत समितियों का भवन निर्माण
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए अवार्ड
- पंचायती राज संस्थाओं को 3500 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान
- गुरू गोलवरकर योजना की राशि दुगुनी– 100 करोड़ रुपये
- अन्य चिन्हित वर्गो के लिए आवासिय योजना के लिए अनुदान
- वन क्षेत्र मे रह रहे व विशेष वंचित जनजाति समूहो के पक्के मकानों के लिए 51 करोड़ 90 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई
- नरेगा के लिए 50 करोड़ रुपये additional material component कोष

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

सूचना प्रोद्योगिकीः

- भामाशाह योजना मे 61 लाख परिवार का नामांकन

- PACS , LAMPS तथा ई मित्र केन्द्रो को Business correspondent बनाने का निर्णय
- 9900 पंचायतों मे माईक्रो एटीएम
- ई–मित्र केन्द्रो की संख्या 15000 की जायेगी
- अटल सेवा केन्द्रो पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा दी जायेंगी
- Big data technique से लेस analytic system का विकास
- नयी IT एवं e-governance पॉलिसी लाई जायेगी
- जिला स्तर पर सूचना प्रोद्योगिकी कार्यालयो की स्थापना
- जयपुर मे चिन्हित स्थानों पर वाई–फाई सुविधा
- राजस्थान स्टेट ट्यूरिज्म पोर्टल बनाया जायेगा
- राजस्थान हायर एजूकेशन पोर्टल बनाया जायेगा
- 2000 विद्यालयों में कम्प्यूटर लेब की स्थापना– 50 करोड़ रुपये
- शाला दर्पण कार्यक्रम पायलेट बेसिस पर चालू किया जायेगा
- डिजिटल लिटरेसी योजना लागू की जायेगी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end कम्प्यूटराईजेशन– 88.50 करोड़ रुपये
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासिय विद्यालयों एवं छात्रावासों मे ई–टयूशन
- ई–धरती कार्यक्रम की शीघ्र क्रियान्विति
- IFMS को और अधिक कारगर बनाया जायेगा
- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मे डिजिटाइजेशन। विभाग द्वारा ई–बुक का प्रकाशन। सोशल मिडिया सेल विकसित किया जायेगा।
- एसडीओ एवं तहसील कार्यालय भवनों एवं आवासो के लिए 110 करोड़ रुपये
- राजस्व लोक अदालत अभियान चलाया जायेगा

गृहः

- जिला पुलिस लाईन,आरएसी लाईन तथा प्रशिक्षण संस्थानों की मरम्मत के लिए – 48 करोड़ रुपये
- चयनित पुलिस लाईन्स को पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर के रुप मे विकसित करना
- 234 थानों मे सीसीटीवी केमरा
- 22 जिला कारागृह एवं अन्य मे सीसीटीवी केमरा
- अलवर जेल को केन्द्रिय कारागृह मे क्रमोन्नत किया जायेगा
- 2.40 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जिलों में आधुनिक बंदी मुलाकत कक्ष
- 36 नये बंदी बैरको का निर्माण
- सहायक निदेशक, अभियोजन कार्यालयों के लिए ई–लाइब्रेरी
- 5 कारागृहों से न्यायलयों में विडियों कान्फ्रेन्सिंग
- नागरिक सुरक्षा विभाग का राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से विलय

न्याय प्रशासनः

- 25 एनआई एक्ट न्यायालय, 2 महिला उत्पीड़ीन न्यायालय तथा 4 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट के नवीन न्यायालय खोले जायेंगे

गोपालनः

- गौ–तस्करी से बचाये गये गौ वंश की चारा आदि के लिए सहायता

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकीः

- उदयपुर मे नवीन उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना
- जयपुर क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का अपग्रेडेशन

सूचना एवं जनसम्पर्कः

- जिला सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण
- पत्रकार एवं साहित्यकार कोष से दी जाने वाली एक मुश्त सहायत मे बढ़ोतरी
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज के एसी एवं वोल्वों बसों मे 50 प्रतिशत की छूट

सैनिक कल्याणः

- टोंक मे नवीन सैनिक विश्राम गृह का निर्माण
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं के पेंशन मे वृद्धि
- 1.4.1999 के पश्चात् शहिद सैनिको के माता–पिता को देय राशि मे वृद्धि
- शोर्य पदक विजेताओं तथा सेना, वायु एवं नौसेना मेडल धारकों के पुरस्कार राशि में वृद्धि
- सैनिकों के लिये call centre की सुविधा

कर्मचारी कल्याणः

- परीविक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों के fixed वेतन मे 10 प्रतिशत की वृद्धि
- राजकीय कर्मचारियों को वर्दी की बजाय वर्दी भत्ता
- पेंशनर के लिए डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट की योजना लागू की जायेगी
- स्पेशल पेंशनरी अवार्ड दायरे में वृद्धि
- पंचायती राज कर्मचारियों का वेतन कोषालय के माध्यम से draw किया जायेगा

प्रेस विज्ञप्ति

बजट 2015–16

बजट 2015–16 के कर प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिन्दु

व्यापार के लिए सहुलियत

वाणिज्यिक कर विभाग

- **ई–गवर्नेंस**
  - फार्म वैट 47/49 मोबाइल एप के माध्यम से ही उपलब्ध करायें जाएगें। यह सुविधा वाहन प्रभारी के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भेज कर प्रदान की जायेगी। यदि वाहन प्रभारी के पास मोबाइल पर एसएमएस है तो फॉर्म 47/49 की हार्डकॉपी की आवश्यकता नहीं होगी।
  - कमीशन एजेंट द्वारा उपयोग किये जाने वाले फॉर्म वैट 35, 36, और 36क ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 36 के अन्तर्गत विवादित प्रश्न का अवधारण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  - इसी प्रकार कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का आवेदन (फॉर्म वैट–27) तथा delay condonation का आवेदन (फॉर्म वैट-28) की भी व्यवस्था की जायेगी तथा इस हेतु देय 50 रुपये कोर्ट फीस को समाप्त किया गया ।
  - अपील एवं पंजीयन आवेदन के ऑनलाइन ट्रेकिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  - वर्तमान में VAT तथा CST के return का एक common फॉर्म है। अब VAT, CST, प्रवेश कर तथा विलासिता कर के लिए return का एक ही समन्वित फार्म होगा।
  - Entertainment Tax हेतु भी e-return की व्यवस्था की जायेगी । इसके साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी करों के लिए e-return की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। यदि व्यवहारी वेबसाइट के प्रयोग के लिए सहमति देता है तो उसे ऑनलाइन return भरने के पश्चात् Hardcopy देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
  - Dealer को बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये समय से refund देने हेतु assessment के पश्चात् 30 दिवस के अन्दर स्वतः ही due refund dealer के बैंक खाते में online transfer करने की व्यवस्था की जायेगी । यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013–14 व इससे आगामी वर्षों से संबंधित Tax assessment के पश्चात् due होने वाले refund हेतु उपलब्ध होगी।
  - ऐसे dealers, जिनका गत वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक turnover inter-state sale का है, उन्हें quaterly return प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन करने पर तीस दिवस के भीतर refund प्रदान किया

जायेगा। इससे ऐसे व्यवहारियों के working capital ब्लॉक होने की समस्या का निदान हो जायेगा क्योंकि उन्हें शीघ्र refund मिल जायेगा।

- विभाग में कुछ अधिसूचित causal commodities जैसे marble, Kota stone आदि पर कर संग्रहण हेतु 26 कर संग्रहण केन्द्र है। इन कर संग्रहण केन्द्रों को IT enable किया जायेगा ताकि इन मदों का व्यवहार करने वाले व्यवहारियों के ITC सत्यापन आसानी से हो सकेंगें।

सरलीकरण एवं सुविधाऐं

- जोनल कर भवन परिसर के बाहर स्थित अन्य सभी Circle कार्यालयों में PPP मोड पर Dealer Facilitation Centre स्थापित किये जायेंगे ।
- 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण किये गये कर निर्धारणों के लिए VAT घोषणपत्र या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 30 जून, 2015 तक प्रदान की है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के quarterly और annual returns में संशोधन हेतु annual return file करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया ।
- वर्तमान में गत वर्ष में 20000 रुपये की कर देयता वाले व्यवहारी त्रैमासिक रूप से कर जमा करा सकते हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 50000 किया जा रहा है। इससे लगभग 25000 व्यवहारियों को मासिक कर जमा कराने के स्थान पर त्रैमासिक कर जमा कराने की सुविधा मिलेगी।
- कर देयता रखने वाले व्यवहारियों द्वारा विलम्ब से return पेश करने पर न्यूनतम 1000 रुपये की विलम्ब शुल्क के प्रावधान को हटाया जा रहा है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- **ई–गवर्नेंस**
  - 23 पूर्णकालिक तथा 50 पदेन उप–पंजीयक कार्यालयों में e-stamp की सुविधा का विस्तार।
  - 80 और उप–पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।

सरलीकरण और सुविधाऐं:

- पुराने निर्माणों पर मूल्य में depreciation के प्रावधानों का सरलीकरण।
- RIICO क्षेत्र की परिधि से बाहर औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन RIICO की दर के स्थान पर कृषि भूमि की 2 गुना दर से करने का प्रावधान।
- स्थानीय निकायों द्वारा जारी मिश्रित भू–उपयोग के पट्टों के अधीन रिक्त भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक भूमि की दर के 75 प्रतिशत से किये जाने के प्रावधान।
- अनुमोदित भू–उपयोग से भिन्न उपयोग में प्रयुक्त भूमि का मूल्यांकन वास्तविक उपयोग के अनुसार किये जाने का प्रावधान।

- गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भूखण्ड़ों के संबंध में निष्पादित अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए भूमि की दरों का सरलीकरण ।
- निर्माण की विभिन्न श्रेणियों तथा stages को वर्गीकृत किया जाकर सरल एवं तर्कसंगत किया गया।
- स्टाम्प नियमों में संशोधन कर विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के मूल्यांकन के प्रावधान किये गये।
- जिला स्तरीय समितियों द्वारा भूमि की बाजार दरों के निर्धारण में एकरूपता के उद्देश्य से DLC की guidelines तैयार करने हेतु महानिरीक्षक, स्टाम्प को अधिकृत किया गया।
- दस लाख रूपये से अधिक की विवादित राशि के revision प्रकरणों की सुनवाई राजस्थान कर बोर्ड की दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किये जाने के प्रावधान।
- हक त्याग (release deeds) के प्रकरणों में पैतृक सम्पत्ति संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण।

कर में राहत

वाणिज्यिक कर विभाग

- कोटा स्टोन, मार्बल तथा ग्रेनाइट Sector को RIPS-2014 के तहत Thrust Sector में शामिल किया जायेगा। इसमें नई इकाई तथा expansion & new units को देय VAT का 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक subsidy के रूप में दिया जायेगा ।
- Electronic System Design & Manufacture (ESDM) sector में अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली ईकाइयों को RIPS-2014 मे 90 प्रतिशत capital investment subsidy और 10 प्रतिशत employment generation subsidy 7 वर्ष के लिये दी जायेगी । साथ ही 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली ईकाइयों को यह लाभ 10 वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा ।
- RIPS-2014 के अन्तर्गत Tourism sector को देय लाभ प्राप्त करने के लिये Hotel या Motel में निवेश की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये करते हुए Resort तथा Convention Center को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया।
    - Tourism sector की enterprises को conversion charges तथा development charges में शत–प्रतिशत छूट दी गयी ।
    - Luxury Tax में होटलों को off-season की तीन माह के लिए शत् प्रतिशत छूट।
- रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की केन्द्र सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसे enterprises जो Defence Sector के लिये माल का निर्माण करते हैं, को भी RIPS-2014 के अन्तर्गत thrust sector में सम्मिलित कर विशेष लाभ दिये जायेंगे ।

- राज्य में desalination plant की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से desalination plant की स्थापना में निवेश करने वाले enterprises को RIPS-2014 के अन्तर्गत लाभ दिये जायेंगे।
- खारे पानी का desalination के उपरान्त बढ़ावा देने के उद्देश्य से desalination प्रक्रिया के अत्यन्त महत्वपूर्ण पुर्जे (Membrane) पर कर की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
- Japanese Zone में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिये inter state sale पर 0.25% की CST दर को दिनांक 31 मार्च, 2016 या GST लागू होने तक, जो भी पहले हो, के लिये बढ़ाया गया।

प्रवेश करः

- निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर हटाया गयाः–

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	Tin plate
2.	Coffee, cocoa
3.	Handpumps, their parts and accessories
4.	Photographic film & paper
5.	AC pressure pipes
6.	Salt petre, gun powder, potash and explosives
7.	Wireless reception instruments, apparatus, their parts and accessories
8.	Tuolene, Mix-xylene, Benzene and Mineral turpetine oil
9.	Marble cutting tools, Gang saw
10.	Diamond bits
11.	Batasha, Mishri, Makhana, Sugar toys
12.	Ice-cream
13.	Pipe and pipe fittings
14.	Radio sets and radio gramophones, VCR, VCP, Tape-recorders, Transistor sets

- निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर की दरों को कम किया गयाः–

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वर्तमान कर दर	प्रस्तावित कर दर
1.	All kinds of industrial fuels including petrol, gasoline, petroleum coke in any form, high speed diesel oil etc.	5	3
2.	All kinds of electrical and electronic goods including electronic meter, FAX Machines, SIM cards and smart cards and parts and accessories thereof.	14	4
3.	Television sets, washing machine, microwave oven	14	4
4.	All kind of Telephone and parts thereof.	5	4
5.	Computers and their accessories	5	4
6.	Parts and accessories of all types of motor vehicles (other than tractors) including two and three wheelers.	15	4

7.	Tyre, tubes and flaps of two wheeler, three wheeler and four wheeler motor vehicles, motor vehicles with more than four wheels or jeep trailers.	14	4
8.	Aluminium structurals, steel fabrication items including G.S. Stay Sets, switch fuse units and isolators.	14	4
9.	Steel structurals and steel bars including Thermo-Mechanically Treated steel bars (TMT)	5	4
10.	Generating sets	14	4
11.	Transformers and Transformer oil	5	4
12.	Insulators	5	4
13.	ACSR Conductors	5	4
14.	Stay wire	5	4
15.	Glass and glass sheets	14	4
16.	Photo Copiers	14	4
17.	Bitumen of all kinds	14	4
18.	Lubricants including lube oil and grease	14	4

- आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा हवन सामग्री की बिक्री को करमुक्त किया गया।
- पत्थर की चौखट, जूट रस्सी, कलोन्जी, काली जीरी, Mosquito net, Bird net को करमुक्त किया गया।
- मोतियाबिन्द के ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले Lens की बिक्री को करमुक्त किया गया।
- पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से Marble करेजी, marble powder तथा marble chips की बिक्री को करमुक्त किया गया।
- राज्य के पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा स्टोन पर VAT की दर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गयी।
- Used hydraulic excavators, Mining Machinery आदि पर used vehicle की तरह ही VAT दर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत किया गया।
- राज्य में efficient energy utilization को ध्यान में रखते हुए CFL Bulb, CFL Tubelight, LED Bulb तथा LED Tubelight पर VAT दर 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की गई।
- पर्यटकों के लिये हवाई सेवा सुलभ करने हेतु जयपुर के अतिरिक्त अन्य शहरों में scheduled flights के विमानों को ईधन पर कर की दर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की गयी।
- Branded Cooked food Chain को छोड़कर शेष Restaurant, Three Star से कम श्रेणी वाले होटल तथा Basic Heritage Hotel में Pizza, Burger जैसे Fast food item के विक्रय पर भी 5 प्रतिशत VAT दर लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- 19 items यथा Core assembly of transformers, DG set, Aluminium containers for compressed gas and liquefied gas, Pre-stressed concrete poles, Toilet paper and toilet

tissue paper, Brushes excluding Tooth brushes, Soya milk, Non-mechanised Floor wipers & floor mops, Life-jackets & life-belts, Saccharine, Radio, Transistor, Plastic & cotton rope and Abrasive paper पर VAT दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गयी।

पंजीयन एवं मुद्रांक

- आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय ईकाईयों के दस्तावेजों पर रूपये 1000 से अधिक का पंजीयन शुल्क माफ।
- सरकार, स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की पूर्ण छूट।
- बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक की गई।
- कमी स्टाम्प ड्यूटी पर penalty की दर 2 प्रतिशत प्रतिमाह से घटाकर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की गई।
- युद्ध विधवा द्वारा गृह ऋण के संबंध में वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी सोसायटी के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की पूर्ण छूट।
- बहुमंजिला भवनों के अधीन अनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दरों में कमी।
- 1000 वर्गमीटर से बड़े आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्ड़ों के मूल्यांकन की दरों में रियायत।
- कम्पनियों, फर्मों एवं संस्थाओं द्वारा कृषि भूमि के क्रय पर भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि के डेढ गुना के स्थान पर कृषि भूमि की दर से ही किये जाने का प्रावधान ।
- अचल सम्पत्ति के बिना कब्जे वाले बन्ध पत्रों (ऋण दस्तावेजों) पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत की गई।
- रिक्त आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड के उसी अवस्था में एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चातवर्ती बेचान के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 10 प्रतिशत की रियायत।
- विश्व–विद्यालय की स्थापना पर उसकी sponsoring body से विश्व–विद्यालय के पक्ष में हस्तान्तरित अचल सम्पत्ति के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई।

परिवहन विभाग

- निशक्तजनों के प्रयुक्तार्थ रेट्रोफिटमेन्ट किट वाले 8 लाख रूपये की कीमत तक के वाहनों पर एक बारीय कर अदायगी से मुक्ति।
- मान्यता प्राप्त पर्यटक संचालकों के स्लीपर कोच को छोड़कर 30 सीट से अधिक बैठक क्षमता वाली वातानुकूलित बसों के लिए देय विशेष पथकर में 3 वर्ष तक की रियायत।

- वाहनों का 31.03.2012 तक बकाया कर दिनांक 30.06.2015 तक जमा कराने पर शास्ति एवं ब्याज में माफी। इसी प्रकार नष्ट हो चुके यानों के नष्ट होने की बाद का कर एवं शास्ति माफ।

खान विभाग

- पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मारबल के मलबे के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के तहत मारबल पाऊडर पर रॉयल्टी की देयता समाप्त की गई है।

राजस्व एवं उपनिवेशन

- उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करते हुए कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015 की अवधि में एकमुश्त जमा कराये जाने पर प्रभारित ब्याज में छूट दी जायेगी।

<u>राजस्व वृद्धि के उपाय:</u>

वाणिज्यिक कर विभाग

प्रदेश में विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये निम्न उपाय किये गये :–

- Mobile Phone पर कर दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की गयी।
- Gems & Stone तथा सर्राफा dealers के लिये composition की राशि की दर को 0.25 प्रतिशत को 0.75 प्रतिशत किया गया।
- VAT अधिनियम की Schedule-V की वस्तुओं पर कर दर 14 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत की गयी।
- Diesel Generating Sets के अतिरिक्त अन्य Captive Power Generating Plants द्वारा self generated विद्युत के उपभोग पर 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से electricity duty लगाई गयी।
- राज्य के सभी Marriage Gardens पर Luxury Tax की देयता करते हुए उनको composition scheme का विकल्प उपलब्ध कराया गया।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- गोदनामों, शपथ पत्रों, कुछ श्रेणी के मुख्त्यारनामों तथा कतिपय परिवारजनों के पक्ष में हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर तर्कसंगत किया गया ।
- बैंक गारण्टी एवं शस्त्र अनुज्ञप्तियों के दस्तावेजों को स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित किया जाकर स्टाम्प ड्यूटी की दर विहित की गई।
- ऋण समनुदेशन के दस्तावेजों, ऋण इकरारनामों तथा इक्विटेबल मोरगेज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर 0.15 प्रतिशत की गई।
- पंजीयन शुल्क की रूपये पचास हजार की अधिकतम सीमा को समाप्त किया गया।

परिवहन विभाग

- दिनांक 1.4.2007 से पंजीकृत हल्के भार यान, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को 6 किश्तों में भुगतान की सुविधा के साथ अनिवार्य एक मुश्त कर जमा कराना।
- 125 सीसी तक इंजन क्षमता वाले दो पहिया यानों पर देय एक बारीय कर में वृद्वि।
- गैर अस्थाई परमिटधारी यात्री बसों के लिए देय मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी
- केवल ऑफ हाइवे यानों पर एक बारीय कर का आरोपण।

<u>अन्य</u>

वाणिज्यिक कर विभाग

- GST लागू करने के लिये आगामी समय में जिला एवं सम्भाग स्तर पर भी dealers तथा tax experts के साथ विचार–विमर्श किया जायेगा।
- GST लागू करने और VAT regime के अन्तर्गत वर्तमान IT infrastructure पर बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग के IT Infrastructure का gap analysis विशेषज्ञों से कराया जायेगा।
- कार्यसंविदा के तहत एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है जिसमें राज्य के बाहर से भी खरीद की जा सकेगी किन्तु इसके लिए अतिरिक्त छूट फीस देनी पड़ेगी।
- यदि sub contractor द्वारा अपने द्वारा किये गये किसी कार्य पर कर चुका दिया गया है तो Principal contractor के कर निर्धारण के समय उसकी कर देयता को शामिल नही किया जायेगा।
- e-commerce कम्पनीयों उनके ट्रांसपोर्टरों/कूरियर कम्पनीयों द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अनिवार्य रूप से वांछित सूचना देने के लिए राजस्थान वैट अधिनियम में नया क्लॉज जोड़ा गया है।